उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

विभिन्न विभागों में रिक्त समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु परम्परागत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की

अन्तिम तिथि– 20 नवम्बर, 2012

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 19 अक्टूबर, 2012

लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त समूह 'ख' एवं 'ग' के निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन के अन्त में 'परिशिष्ट–1' में मुद्रित प्रारूप पर ही मोटे फुल स्केप कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जिसका विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है। **पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।**

महत्वपूर्ण निर्देश

अवश्य पढ़े एवं तदनुसार कार्यवाही करें :–

1. अभ्यर्थी अपने उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन परम्परागत आवेदन पत्र के **कॉलम–10** में अवश्य करें। आवेदन पत्र पर आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा एस.एल.पी.(सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2010 के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
2. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 20 नवम्बर, 2012 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव (यदि लागू हो) अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ आवेदित पद हेतु अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव (यदि लागू हो) से संबन्धित समस्त सेमेस्टर/वर्षों के अंक पत्र/प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
3. अभ्यर्थी परम्परागत आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
4. पृथक–पृथक पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
5. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण संबंधी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 10 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।
6. **आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
7. अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद हेतु वांछित अर्हता के अनुसार ही प्रस्तुत करें। पद की अर्हता के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र **परिशिष्ट–02** में उपलब्ध प्रारूप पर ही प्रस्तुत करें। उक्त प्रारूप से इतर प्रारूप पर अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापित पदों में से श्रेणी 'ग' के पदों हेतु **(क्रमांक 08 से 10 तक)** उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय* में पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक तथा वैधता की अवधि में होना अनिवार्य है।

नोटः– शासनादेश संख्या 1270/XXX(2)/2010, दिनांक 02 सितम्बर, 2010 द्वारा प्राविधान किया गया है कि समूह 'ग' की सीधी भर्ती के पदों पर (विज्ञापित पदों में से क्रम सं0–08 से 10 तक) भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगें जिनका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय/जिला सैनिक कल्याण एवं